भारत रक्षा नियमों और आंसका के अन्तर्गत बन्दी बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारी

105. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल के दौरान बिहार में बोकारो इस्पात कारखाने के कितने कर्मचारी आंसुका और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राज्य में बोकारो इस्पात कारखाने का कोई कर्मचारी बन्दी नहीं बनाया गया था ।

आपात काल के दौरान भारतीय रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन कारखाने के 19 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए थे । इन कर्मचारियों के खिलाफ चलाये गये मामलों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं ।

राज्यपालों की नियुक्ति

106. **श्रीमती चन्द्रावती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यपालों की नियुक्तियों सम्बन्धी नियम क्या हैं और वे कितनी अवधि के लिए पद पर रहते हैं ;

(ख) हरियाणा के राज्यपाल, स्वर्गीय श्री बी० एन० चक्रवर्ती का कार्यकाल कब समाप्त हुआ और कार्यकाल के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी वह किन नियमों के अन्तर्गत अपने पद पर आसीन रहे; और

(ग) यदि वे कार्यकाल के समाप्त होने के उपरान्त भी अपने पद पर आसीन रहे तो क्या उन पर हुआ व्यय उनके उत्तराधिकारियों से वसूल करने का विचार है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) संविधान के उपबन्धों के अधीन, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 155) । वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है । राज्यपाल के पद की अवधि उसके पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष तक है, परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा (अनुच्छेद 156) । कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होता जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो (अनुच्छेद 157) ।

(ख) और (ग) राज्यपाल के रूप में स्व० श्री बी० एन० चक्रवर्ती के पद की सामान्य अवधि 14-9-1972 को समाप्त हो गई थी । परन्तु अपने उत्तराधिकारी के नियुक्त होने तक अनुच्छेद 156 (3) के उपबन्ध के अनुसार वे अपने पद की अवधि समाप्ति के बाद भी पद धारण किये रहे । अतः उनकी पदावधि समाप्त होने के बाद राज्यपाल के रूप में उन पर हुए खर्च को उनके उत्तराधिकारियों से वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निगम बनाया जाना

107. **श्री नारायण कृष्ण शेजवलकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और टेलीविजन विभागों को स्वायत्तशासी संगठन बनाए जाने की दशा में वहां काम करने वाले कर्मचारियों की पूर्व तथा वर्तमान सेवा शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा तथा क्या पहले की गई अनियमितताओं का निराकरण किया जाएगा ;